भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3750
दिनांक 25 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

निर्भया निधि का उपयोग

3750. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
डॉ. राजश्री मल्लिक:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्भया कोष योजना के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से निर्भया कोष के उपयोग का ब्यौरा प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में निर्भया कोष के कम उपयोग के कारणों की समीक्षा की है और यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्भया कोष योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) शुरू की गई परियोजनाओं और अब तक आवंटित/उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करके मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए उक्त योजना के तेजी से कार्यान्वयन और धनराशि के बेहतर उपयोग के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान निर्भया कोष के तहत आवंटित फंड का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
आवंटन (करोड़ रू में)	550.00	550.00	1355.23

(ख) से (ड.) : निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/स्कीमें मांग आधारित है I अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं/ स्कीमों का कार्यान्वयन कार्यक्रम अलग-अलग है। इसके अतिरिक्त, कुछ मूल्यांकित परियोजनाएं सीधे केन्द्रीय मंत्रालयों /विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है I हालांकि अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की जाती है जिसमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजना / स्कीम के निर्धारित निधि साझेदारी पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है I उसके बाद जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन दिए गए समय के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है I इसके अलावा, ऐसी स्कीमें हैं, जिन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में कार्यान्वयन

एजेंसी/प्राधिकरण से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर और निधि जारी की जाती है।। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष, जिसमें अनुदान जारी किया गया था के समाप्त होने के बारह महीनों के भीतर यूसी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है I इसलिए संभव है कि वास्तविकता में अधिक निधि उपयोग हुई हो परन्तु सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसीएस) और व्यय का विवरण संबंधित राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जमा नहीं कराया गया है I राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसीएस) और व्यय का विवरण जमा कराने के लिए नियमित रूप से अनुसरण किया गया है I कई अन्य कारक जैसे सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अप्रत्याशित कारणों से व्यवधान जैसे कि कोविड 19 आदि के कारण भी स्कीमों /परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है । निर्भया कोष के तहत जारी की गई लगभग 70 % निधि के उपयोग किये जा चुकने की सूचना है I निर्भया कोष के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक – I** में है I वित्तीय वर्ष 2016-17 से निर्भया कोष के तहत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा **अनुलग्नक - II** में है I (i) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागो (ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा (iii) विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यन्वित किए जाने वाली सभी अनुमोदित परियोजनाओं स्कीमों का ब्यौरा **अनुलग्नक –III** में है I

(च) : निर्भया कोष ढाँचे के तहत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष के तहत फंडिग के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों /कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय- समय पर अनुमोदित परियोजनाओं के व्यय की स्थिति और कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा भी करती है I इसके अलावा मंत्रालय/विभाग /कार्यान्वयन एजेंसियां अपने स्तर पर कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी भी करती है I

अनुलग्नक – I

"निर्भया निधि का उपयोग" विषय पर डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित,डॉ. राजश्री मल्लिक,श्री कृष्णपालसिंह यादव,श्रीमती अपरूपा पोद्दार,डॉ. हिना विजयकुमार गावीत,डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा दिनांक 25 .03.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3750 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया कोष के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि	उपयोग की निधि
1	अंडमानव निकोबार द्वीप समूह	13.75	4.47
2	आंध्र प्रदेश	118.53	39.21
3	अरुणाचल प्रदेश	39.65	7.91
4	असम	76.7	18.08
5	बिहार	113.05	35.88
6	चंडीगढ़	13.27	6.5
7	छत्तीसगढ़	82.99	37.36
8	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	18.59	4.56
9	दिल्ली	422.2	411.90
10	गोवा	17.9	6.28
11	गुजरात	215.11	175.85
12	हरियाणा	55.07	23.92
13	हिमाचल प्रदेश	35.38	11.41
14	जम्मू और कश्मीर	39.97	14.45
15	झारखंड	65.6	13.22
16	कर्नाटक	293.79	238.89
17	केरल	58.37	21.34
18	लद्दाख-यूटी	4.55	0.56
19	लक्षद्वीप	5.39	0.77
20	मध्य प्रदेश	179.89	93.42
21	महाराष्ट्र	315.15	196.59
22	मणिपुर	38.8	12.78
23	मेघालय	28.97	8.94
24	मिजोरम	33.48	16.16
25	नगालैंड	41.8	21.28
26	उड़ीसा	80.68	19.65
27	पुद्दुचेरी	15.48	2.76
28	पंजाब	61.71	20.22
29	राजस्थान	123.04	70.71
30	सिक्किम	17.65	4.77
31	तमिलनाडु	330.3	95.97
32	तेलंगाना	234.41	84.47
33	त्रिपुरा	26.53	8.58
34	उत्तर प्रदेश	488.29	186.59
35	उत्तराखंड	38.3	20.73
36	पश्चिम बंगाल	102.84	89.48

अनुलग्नक – II

"निर्भया निधि का उपयोग" विषय पर डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित,डॉ. राजश्री मल्लिक,श्री कृष्णपालसिंह यादव,श्रीमती अपरूपा पोद्दार,डॉ. हिना विजयकुमार गावीत,डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा दिनांक 25 .03.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3750 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2016-17 और इससे आगे के वर्षों के दौरान निर्भया कोष के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का ब्यौरा	से प्राप्त

1.	बसों (डीटीसी+क्लस्टर) में सीसीटीवी और जीपीएस डिवाइस लगाना	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2.	महत्वपूर्ण स्थलों पर बने आधुनिक स्टेनलैस स्टील के बस कतार शैल्टरों में सीसीटीवी लगाना	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3.	ऑटो रिक्शा/छोटे वाहनों में जीपीएस के साथ क्यूआर आधारित एप के विकास का प्रस्तावव (अभय परियोजना)	परिवहन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
4.	आरएसआरटीसी का प्रस्ताव	परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार
5.	कक्षाओं में सीसीटीवी लगाना	पूर्वी डीएमसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
6.	सार्वजनिक परिवहन वाहनों में खतरे के बटन लगाना	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	चिराली प्रस्ताव, महिला सशक्तिकरण निदेशालय	महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
8.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम	गृह मंत्रालय
9.	भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण के बारे में कर्नाटक सरकार के बैंगलुरु महानगर परिवहन निगम का प्रस्ताव	परिवहन विभाग, कर्नाटक सरकार
10.	पुलिस आयुक्तालय, भुवनेश्वर में कटक -'सुरक्षित शहर परियोजना' के क्रियान्वयन के लिए ओडिशा सरकार का प्रस्ताव	ओडिशा सरकार
11.	महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा के निवारण के लिए अभिनव परियोजनाएं	महाराष्ट्र सरकार
12.	जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर में सुरक्षित शहर कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
13.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 5 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ का बसों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव	परिवाहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
15.	कोहिमा में निर्भया आश्रय गृह	समाज कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार
16.	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से यौन आक्रमणों को कम करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र	गुजरात सरकार
17.	सीसुरक्षा साइबर की महिलाओं द्वारा हैदराबाद डैक-, सुरक्षा और निजता	गृह मंत्रालय
18.	दिल्ली शहर की सुरक्षित शहर परियोजना	गृह मंत्रालय
19.	दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की स्कीम के अंतर्गत अन्य विभिन्न गतिविधियां	गृह मंत्रालय
20.	दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरु, अहमदाबाद तथा लखनऊ नामक शहर सुरक्षित में योंराज् 08 परियोजना	गृह मंत्रालय
21.	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में महिलाओं/यौन हिंसा पीड़ितों के लिए फॉरैंसिक प्रयोगशाला	गृह मंत्रालय
22.	राज्य-वार वाहन खोज प्लेटफार्म के अनुकूलन, नियोजन तथा प्रबंधन के लिए सी-डैक का प्रस्ताव	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
23.	एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरैंसिक तथा संबंधित सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	गृह मंत्रालय
24.	महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'एकल सुरक्षा सहायता ऐप्प' के डिज़ाइन, विकास और क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव	रेल मंत्रालय
25.	कोंकण रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	रेल मंत्रालय
26.	उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सुरक्षा डिवाइस लगाने का प्रस्ताव	परिवहन विभाग, उत्तराखंड सरकार

27.	महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में 200 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव	तमिलनाडु सरकार
28.	महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए अनुकूल संचार पहल	तमिलनाडु सरकार
29.	राज्य में आत्महत्या निवारण हैल्पलाइन की स्थापना का प्रस्ताव	तमिलनाडु सरकार
30.	महिला सुरक्षा के संबंध में तमिलनाडु के 12 विश्व से प्रस्ताव	तमिलनाडु सरकार
31.	बहुक्षेत्रक अभिसरण प्रयासों के माध्यम से बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा उनके साथ होने वाली हिंसा से संबंधित सरोकार	बिहार सरकार
32.	112 उपमंडल पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए विशेष कक्षों के उन्नयन का प्रस्ताव	बिहार सरकार
33.	'शौर्य दल कार्यक्रम' के लिए प्रस्ताव	मध्य प्रदेश सरकार
34.	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रस्ताव	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
35.	नागालैंड राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रस्ताव	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
36.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रस्ताव	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
37.	यौन आक्रमण के मामलों के लिए फॉरैंसिक किटों की खरीद का प्रस्ताव	गृह मंत्रालय
38.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव	न्याय विभाग
39.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा (दो अतिरिक्त जिलों) के लिए व जागरुकता कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव	महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार
40.	एम्स में एक ही स्थान पर यौन आक्रमण जांच, देखरेख और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव	एम्स, दिल्ली
41.	सम्मान रक्षा हेतु हत्या को रोकने के लिए संरक्षण गृहों की स्थापना का प्रस्ताव	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
42.	महिलाओं और लड़कियों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सशक्त वाहिनी से संबंधित प्रस्ताव	महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश
43.	मानसिक रूप से रूग्ण महिलाओं के लिए गृह की स्थापना	मणिपुर सरकार
44.	नशीली दवाएं लेने वाली और यौन कर्मियों सहित सुभेद्य महिलाओं के लिए रात्रि शरण स्थलों की स्थापना	
45.	महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना	
46.	इम्फाल में सुभेद्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना	
47.	किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट, कर्नाटक के अंतर्गत महिला सुरक्षा और संरक्षा और निराकरण कार्यक्रम चलाने और उनके सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव	किदवई कैंसर संस्थान, कर्नाटक
48	सीसीटीवी मॉनीटरिंग और बैकअप लगाने का प्रस्ताव	पुद्दुचेरी सरकार
49	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रस्ताव	सामाजिक सुरक्षा तथा म .वि.बा. विभाग, पंजाब
50	समेकित आसूचना सुदृढ़ीकरण एवं निगरानी, महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव	पुलिस विभाग, पुद्दुचेरी सरकार
51	स्वांगिनी हेतु प्रस्ताव	म.वि.बा. विभाग, पुद्दुचेरी सरकार
52	युवतियों के साथ होने वाली हिंसा को रोकना और कम करना	म.बा.वि. विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
53	लड़कियों के लिए पठन सह-पुस्तषकालय भवन का निर्माण, व्यवसाय संबंधी परामर्श	जिला मजिस्ट्रेट, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
54	हैरिटेज भवन की मरम्मत और विस्तार	जिला मजिस्ट्रेट, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
55	मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य	पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
56	जम्मू व कश्मीर के सभी जिलों में महिलाओं के लिए विशेष बसों	परिवहन विभाग, जम्मू व कश्मीर

	की खरीद	
57	पंजाब की 13 जेलों में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव	पुलिस विभाग, पंजाब
58	बसों और इंटरसैप्टर वाहनों की खरीद, यात्री सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन	परिवहन विभाग, हरियाणा
59	सखी - वन स्टॉप सैंटर में रहने वाली महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र और सभी 27 वन स्टॉप सैंटरों में वाहनों (चौपहिया) की खरीद का प्रावधान ।	म.बा.वि. विभाग, छत्तीसगढ़
60.	एफएसएल, पटना में डीएनए प्रयोगशाला की तीन (3) इकाइयों की स्थापना	गृह विभाग,बिहार
61.	मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय के लिए सुरक्षित शहर कार्यक्रम	म.बा.वि. विभाग, मध्य प्रदेश
62.	संकट में महिलाओं की देखरेख के लिए आपातकालीन प्रत्युत्तर की गतिशीलता में वृद्धि	गृह विभाग, त्रिपुरा
63.	निर्भया कोष के तहत भारतीय रेलवे में शेष 7261 स्टेशनों और सभी प्रकार की ट्रेनों के 58286 डिब्बों में एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस) का प्रावधान	रेल मंत्रालय
64.	प्रायोजित शोध प्रस्ताव "महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण में सुधार, और उसके परीक्षण"	आईआईटी, एमआईईटीवाई
65.	12 विभिन्न कार्यक्रमों सहित महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रस्ताव	समाज कल्याण विभाग मेघालय
66.	उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर शहर के लिए सुरक्षित शहर परियोजना का प्रस्ताव	गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
67.	झारखंड में राज्य एफएसएल की स्थापना/सुदृढ़ करना	एसएफएसएल, रांची, झारखंड
68.	झारखंड के लिए छह शहरों की निगरानी परियोजना का प्रस्ताव	डीजी/आई जी, पुलिस, रांची
69.	महिला सुरक्षा के लिए पंजाब शहरी स्थानीय निकाय निगरानी ग्रिड (पीयूएनजीआरआईडी -डब्ल्यूएस) को पूरे पंजाब में 167 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लागू करने का प्रस्ताव	सचिव, स्थानीय स्वाशासन -सह- एमडी पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (पीएमआईडीसी)
70.	समेकित प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने की अभिनव पहल	समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग, तमिलनाडु सरकार
71.	संकट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए आपातकालीन और बचाव सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को वाहन सहायता और उनकी सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना	
72.	पूरे राज्य में महिला पुलिस मोबाइल पेट्रोल के क्रियान्वयन के लिए निर्भया कोष के तहत 1229 चौपहिया वाहनों की खरीद	
73.	सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 'कवच' का प्रस्ताव	परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
74.	औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए "मिशन शक्ति" का प्रस्ताव	सूचना विभाग, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार
75.	महिलाओं और लड़कियों में आत्मरक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रस्ताव	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
76.	'विभिन्न गंगा घाटों पर महिला यात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यकता आधारित विश्लेषण' का प्रस्ताव	पर्यटन और संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
77.	मेघालय के एक मातृवंशीय समाज में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना	समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
78.	महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव,	
79.	'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की क्षमता निर्माण' का	गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

	प्रस्ताव	
80.	'नारी शक्ति परियोजना' का प्रस्ताव	त्रिपुरा सरकार
81.	'महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा' का प्रस्ताव	पुद्दुचेरी सरकार
82.	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण देखरेख और सहायता की स्कीम	डब्ल्यूडब्ल्यू विभाग, एमडब्ल्यूसीडी
83.	10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव	विदेश मंत्रालय
84.	"महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अभिनव प्रस्ताव" शिक्षा विभाग,	मेघालय सरकार
85.	सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा से बचने वाले जो मदद के लिए पुलिस प्रणाली से संपर्क करते हैं" को मनो-सामाजिक-कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए 'मानकीकृत विशेष प्रकोष्ठों के लिए एक मसौदा स्कीम दस्तावेज'	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई (महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हस्तक्षेप के लिए संसाधन केंद्र)
86.	विल्लुपुरम, सेलम, कोयंबटूर, मदुरै और तिरुनेवेली जिलों में "एकीकृत चालक प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल"	समाज कल्याण और महिला अधिकारिता विभाग, तमिलनाडु सरकार
87.	डब्ल्यूसीडी विभाग "ऑनर किलिंग से निपटने के लिए सुरक्षा गृह (सुरक्षा गृह) की स्थापना" का प्रस्ताव,	हरियाणा सरकार
88.	"व्यापक, समग्र और आवश्यकता-आधारित जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करना बेघर मानसिक बीमार महिलाओं के पुनर्वास और समुदाय में पुन: एकीकरण	" डब्ल्यूसीडी विभाग, कर्नाटक सरकार
89.	"महिला छात्रों की भागीदारी बढ़ाने और उच्च शिक्षा में उनकी सफलता के अनुपात में सुधार करने के लिए कॉलेज परिसरों में सुरक्षित वातावरण बनाने" का प्रस्ताव	उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार
90.	'महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा' के लिए प्रस्ताव	पुद्दुचेरी सरकार
91.	राज्य की छात्राओं के बीच पहुंच और सुरक्षा की भावना में वृद्धि के लिए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में महिला सुरक्षा और संरक्षा पर प्रस्ताव	डब्ल्यूसीडी और सामाजिक सुरक्षा विभाग, सरकार झारखंड
92.	मानसिक रोग से पीड़ित बेघर महिलाओं के लिए निमहंस के सहयोग से धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (डीआईएचएएनएस) का प्रस्ताव।	डब्ल्यूसीडी विभाग, सरकार कर्नाटक
93.	प्रदेश के 'सात अमृत(एएमआरयूटी) नगरों के अंधेरे स्थानों में रोशनी' का प्रस्ताव	शहरी विकास और आवास विभाग, सरकार झारखंड
94.	'रेलवे हेल्पलाइन डायल नंबर 1512 को अपग्रेड करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र में चल रही ट्रेनों में महिला सुरक्षा के लिए समाधान'	पुलिस आयुक्त (रेलवे), महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार
95.	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव - औद्योगिक सलाहकार लिमिटेड (यूपीआईसीओएन), लखनऊ ने उत्तर राज्य में उद्यमिता विकास, व्यावसायिक-डिजिटल प्रशिक्षण सुरक्षा और महिलाओं/लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए डीआईसी केंद्रों में महिला स्वाबलंबन केंद्र (एमएसके) की स्थापना के लिए "मिशन शक्ति -2.0" नामित किया।	एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग, खादी और ग्राम उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार

अनुलग्नक - III

निर्भया निधि का उपयोग" विषय पर डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित,डॉ. राजश्री मल्लिक,श्री कृष्णपालसिंह यादव,श्रीमती अपरूपा पोद्दार,डॉ. हिना

विजयकुमार गावीत,डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा दिनांक 25 .03.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3750 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया कोष की स्थापना के बाद से मूल्यांकित परियोजनाओं का विवरण

1. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

क्र.सं..	परियोजना	मंत्रालय/ विभाग
1	दिल्ली में जिला एवं अनुमंडल पुलिस थाना स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव	गृह मंत्रालय
2	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन	
3	दिल्ली पुलिस 'महिला सुरक्षा' योजना के तहत कई अन्य गतिविधिया	
4	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए लैब की स्थापना	
5	एकीकृत आपातकालीन प्रत्युत्तर प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	रेल मंत्रालय
6	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	
7	महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और फील्ड परीक्षण	इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
8	विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव	विदेश मंत्रालय
9	निर्भया डैशबोर्ड विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना
1	आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)
2	केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सरवीसीएफ) का सृजन
3	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव अवैध व्रूापार रोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण
5	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (10,000 पुलिस स्टेशनों को कवर करते हुए) में पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना/मजबूत करना
6	यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फॉरेंसिक किट की खरीद का प्रस्ताव
7	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से तीन वर्षों के लिए जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) के प्रशिक्षण का प्रस्ताव
8	बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित मुकदमे के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना
9	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)
10	महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल)
11	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)*
12	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण देखरेख और सहायता की स्कीम
13	राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म एआईएस 140 के अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन का प्रस्ताव

• 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए।

सीमित संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	8 शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई के लिए सुरक्षित शहर का प्रस्ताव	गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
2.	24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, पुडुचेरी, झारखंड, केरल, कर्नाटक और ए एंड द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़ , गुजरात और नागालैंड